

10/24

वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं।
पत्रावली दिनांक 26/10/23 को पेश हो



Not Recd 52/24
Pruthi

आज यह पत्रावली प्राचीगण अधिवक्ता
के द्वारा प्राचीन पत्र पेश करने पर
पेशी में ली गयी प्राचीन पत्र में
निवेदन किया कि प्रकरण में हम
पक्षकारान का राखीगामा हो चुका है
इसलिए पत्रावली आज पेशी में ली
जाकर खारिज की जावे।

प्राचीगण व प्राचीगण अधिवक्ता
को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन
किया गया। प्राचीगण का प्राचीन पत्र
अन्तर्गत धारा 212 RTA इसी स्तर
पर खारिज किया जाकर प्रकरण में
जारी अस्थापी निवेदना दिनांक 09/10/23
भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्गम
होकर गम्बर से कम होकर दायित्व
दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)
श्री करणपुर